

(एफ) प्रशासनिक कार्यालय

संस्थान कार्यालय स्टाफ को समुचित जगह, कायात्मक कम्प्यूटर तथा भंडारण स्थान एवं फर्नीचर उपलब्ध कराएगा।

(जी) सार्वजनिक कक्ष

संस्थान कम से कम दो पृथक सार्वजनिक कक्ष, एक पुरुषों तथा एक महिलाओं के लिए, उपलब्ध कराएगा।

(एच) शौचालय

संस्थान कम से कम छः शौचालय उपलब्ध कराएगा, दो विद्यार्थियों के लिए (एक पुरुष, एक महिला), दो अध्यापकों के लिए तथा दो शौचालय विकलांगों के लिए।

स्टोर

भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था होगी।

टिप्पणी : अन्य विभागों संपूर्ण संस्थान के लिए बुनियादी तथा शिक्षण-संबंधी सुविधाएं संबद्ध विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार होंगी। इसमें विज्ञान प्रयोगशालाएं, खेल परिसर, व्याख्यान हॉल, प्रेक्षागृह, खुला स्थान आदि आते हैं।

6.3 अन्य सुविधाएं

(ए) शिक्षण तथा अन्य उद्देश्यों के लिए के लिए आवश्यक संख्या में सही अवस्था में तथा उपयुक्त फर्नीचर।

(बी) वाहन खड़े करने के लिए स्थान की व्यवस्था।

(सी) संस्थान में स्वच्छ पेय जल की उपलब्धता।

(डी) परिसर, जल संसाधनो, शौचालयों (पुरुषों, महिलाओं एवं अध्यापकों के लिए पृथक) की प्रतिदिन साफ-सफाई, फर्नीचर के रख-रखाव और अन्य उपकरणों की मरम्मत आदि की प्रभावी व्यवस्था।

{टिप्पणी : संयुक्त संस्थान के मामले में, बुनियादी, शिक्षण संबंधी एवं अन्य सुविधाएं विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा उपयोग में लाई जाएंगी}

7. प्रबंधन समिति

यदि संबद्ध विश्वविद्यालय/संबंधित राज्य सरकार का कोई नियम है तो संस्थान में उसी के अनुसार एक प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा। इस तरह के किसी नियम की अनुपस्थिति में संस्थान स्वयं ही एक प्रबंधन समिति बनाएगा। समिति में प्रायोजक सभा/न्यास के प्रतिनिधि, शिक्षाविद् एवं शिक्षक अध्यापक, संबद्ध विश्वविद्यालय तथा स्टाफ के प्रतिनिधि होंगे।

परिशिष्ट-14

शिक्षा में स्नातक (बी.एड) डिग्री प्राप्त कराने वाला बी.एड (अंशकालिक) कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानक**1. प्रस्तावना**

बी.एड के रूप में ज्ञात शिक्षा में स्नातक(अंशकालिक) एक व्यावसायिक कार्यक्रम है जो स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों अर्थात् उच्च प्राथमिक अथवा मिडिल स्तर (कक्षा VI-VIII), माध्यमिक स्तर (कक्षा IX-X) तथा उच्च माध्यमिक स्तर (कक्षा XI-XII) के लिए अध्यापक तैयार करता है। यह कार्यक्रम तीन वर्ष की अवधि के दौरान स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण तथा स्कूल-आधारित क्रियाकलाप के साथ आमने-सामने शिक्षण को जोड़ते हुए विभाजित तरीके से आयोजित किया जाएगा।

यह कार्यक्रम माध्यमिक स्कूलों में VI-XII कक्षाओं को पढ़ाने वाले अध्यापकों के रूप में नियुक्त व्यक्तियों को व्यावसायिक अर्हता प्राप्त करने का एक अवसर प्रदान करता है। यह कार्यक्रम इस प्रकार आयोजित किया जाएगा कि पाठ्यचर्या और मूल्यांकन सहित सभी पक्षों में पूर्णकालिक आमने सामने बी.एड कार्यक्रम के साथ इसकी समतुल्यता सुनिश्चित की जा सके।

2. कार्यक्रम को चलाने के लिए पात्र संस्थाएं

(i) राअशिप द्वारा मान्यता प्रदत्त ऐसे अध्यापक शिक्षा संस्थान जो बी.एड और एम.एड कार्यक्रम चला रहे हैं, जो कम से कम पांच वर्षों से अस्तित्व में रहे हैं और जिनके पास कम से कम बी ग्रेड का नैक प्रत्यायन है।

(ii) यूजीसी द्वारा मान्यताप्रदत्त मुक्त विश्वविद्यालयों को छोड़कर केन्द्रीय/राज्य विश्वविद्यालयों में शिक्षा के विभाग/स्कूल।

टिप्पणी: प्रार्थी संस्थान कार्यक्रम चलाने के लिए राअशिप को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व संबंधन प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय की पूर्व सहमति प्राप्त करेगा।

3. अवधि और कार्य दिवस**3.1 अवधि**

बी.एड कार्यक्रम तीन शैक्षणिक वर्षों का होगा जो कार्यक्रम में दाखिले की तारीख से अधिक से अधिक पांच वर्ष की अवधि में पूरा करना होगा।

3.2 कार्यकारी दिवस

- (क) कार्यक्रम के पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष में से प्रत्येक में कम से कम 120 दिनों का (आमने-सामने) शिक्षण होगा।
- (ख) 12 सप्ताह का पर्यवेक्षित स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण — ऐसे स्कूलों में प्रतिवर्ष 04 सप्ताह (20 दिन) जिनमें प्रशिक्षणार्थी अध्यापक सेवारत हैं।
- (ग) 150 दिन के प्रायोगिक घटक (प्रतिवर्ष 50 दिन) के एक हिस्से के रूप में स्कूल आधारित और समुदाय आधारित क्रियाकलाप। इसमें शामिल होंगे: मामला अध्ययन तैयार करना; संगोष्ठी/अवधि लेख लिखना और पुस्तक समीक्षाएं लिखना बच्चों का प्रेक्षण, माता-पिता अध्यापक बैठक, पाठ्यपुस्तक विश्लेषण तथा मूल्यांकन औजारों की तैयारी। इसके अलावा छात्र, जिन स्कूलों में वे सेवारत हैं उनके द्वारा प्रदत्त नियमित शिक्षण कार्य करते रहेंगे।
- (घ) यह कार्यक्रम अध्यापक शिक्षा संस्थान में छुट्टियों के दौरान आमने-सामने पद्धति विधि से आयोजित किया जाएगा इसलिए संस्थानों के लिए प्रति सप्ताह 42 घंटे (6 X 7) काम करना संभव हो सकेगा।
- (ङ) कार्यक्रम में दाखिल छात्रों की न्यूनतम उपस्थिति सभी पाठ्यक्रम कार्य के लिए 80% तथा स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण के लिए 90% होगी।
- (च) परीक्षण निकायों के रूप में विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेंगे की उपस्थिति की उपर्युक्त प्रतिशत तथा अन्य अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाए।

4. भरती, पात्रता, दाखिले की प्रक्रिया एवं फीस**4.1 भरती**

50 छात्रों का एक बुनियादी यूनिट होगा, लेकिन अनुदेशात्मक और आधारिक सुविधाओं पर निर्भर करते हुए दो यूनिटों की अनुमति दी जा सकती है।

4.2 पात्रता

- (क) ऐसे उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल अध्यापक जो आवेदन की तारीख को कम से कम दो वर्षों तक पूर्णकालिक अध्यापकों के रूप में रहे हैं और जो कार्यक्रम की पूरी अवधि के दौरान सेवा में बने रहेंगे प्रार्थी को उस स्कूल के अध्यक्ष से, जहां वह सेवारत है इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (ख) ऐसे प्रार्थी जिन्होंने विज्ञान/मानविकी/सामाजिक विज्ञान में स्नातक डिग्री तथा/अथवा स्नातकोत्तर डिग्री अथवा विज्ञान और गणित की पृष्ठभूमि/विशेषज्ञता सहित कम से कम 50% अंको सहित इंजीनियरी अथवा प्रौद्योगिकी में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है दाखिले के लिए पात्र हैं।
- (ग) एससी/एसटी/ओबीसी/पीडब्ल्यूडी के लिए जहां कहीं लागू होगा, केन्द्रीय/राज्य सरकारों के नियमानुसार आरक्षण और ढील दी जाएगी।

4.3 दाखिले की प्रक्रिया

दाखिले अर्हक परीक्षा में तथा/अथवा प्रवेश परीक्षा में अथवा राज्य सरकार/यूटी प्रशासन की नीति के अनुसार किसी अन्य चयन प्रक्रिया में प्राप्त अंकों के आधार पर किए जाएंगे।

4.4 फीस

संस्थान समय-समय पर यथासंशोधित राअशिप (गैर-सहायता प्राप्त अध्यापक शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रभाय शिक्षण शुल्क तथा अन्य शुल्कों के विनियम के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत) विनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार संबंधन प्रदान करने वाले निकाय/संबंधित राज्य सरकारों द्वारा यथानिर्धारित फीस ही लेगा और वह छात्रों से किसी प्रकार का दान, प्रति व्यक्ति शुल्क आदि नहीं लगेगा।

पाठ्यचर्या, कार्यक्रम क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन**5.1 पाठ्यचर्या**

बी.एड(अंशकालिक) पाठ्यचर्या स्थानबद्ध प्रशिक्षण को छोड़कर जिसका संक्षेप में नीचे वर्णन किया गया है, वही होगा जो कि पूर्णकालिक बी.एड. कार्यक्रम के लिए है।

स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण

प्रशिक्षणार्थी अपने कार्य के एक हिस्से के रूप में अपने-अपने स्कूल में पढ़ाना जारी रखेंगे। तथापि उनका क्लासरूम अध्यापन और स्कूल आधारित क्रियाकलाप अध्यापक शिक्षा संस्थान के संकाय तथा अन्य योग्य अध्यापकों और अध्यापक प्रशिक्षकों द्वारा 12 सप्ताह — प्रतिवर्ष 4 सप्ताह तक पर्यवेक्षित किए जाएंगे। उन्हें दो स्तरों अर्थात् उच्च प्राथमिक कक्षाएं (कक्षा VI-VIII) तथा माध्यमिक (IX-X) अथवा उच्च माध्यमिक (XI-XII) पर प्रवृत्त किया जाएगा जिसमें से कम से कम 8 सप्ताह माध्यमिक/उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए होंगे।

5.2 कार्यक्रम कार्यान्वयन

- (क) सम्बन्धन प्रदान करने वाला विश्वविद्यालय तीन वर्षों में कवर किए जाने वाले दो वर्षीय पूर्ण-कालिक कार्यक्रम के पाठ्य विवरण का पुनर्गठन करेगा।
- (ख) संस्थान स्थानबद्ध प्रशिक्षण सहित सभी क्रियाकलापों के लिए एक कलैण्डर तैयार करेगा। पर्यवेक्षित स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण तथा अन्य स्कूल सम्पर्क कार्यक्रम स्कूल के शैक्षणिक कलैण्डर के साथ समकालिक रखे जाएंगे।
- (ग) संस्थान अपने अपने स्कूलों में शिक्षण तथा कार्यक्रम के अन्य स्कूल आधारित क्रियाकलाप के पर्यवेक्षण की व्यवस्था करेगा। अध्यापक शिक्षा संस्थान स्कूलों में उपलब्ध एम.एड. अर्हताप्राप्त अध्यापकों तथा क्षेत्र में उपलब्ध अध्यापक प्रशिक्षकों का एक पैनल तैयार करेगा। पैनल में शामिल अध्यापक तथा अध्यापक प्रशिक्षकों को अध्यापक शिक्षा संस्थान द्वारा पर्यवेक्षण की रूपात्मकता और क्षेत्र के संबंध में दिशा-अनुकूलित किया जाएगा।
- (घ) बहुविध दृष्टिकोणों जैसे कि मामला अध्ययन, समस्या समाधान, बोलचाल में चिन्तनशील जरूरतों पर चर्चा तथा बहु सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरणों में बच्चों के प्रेक्षणों का प्रयोग करते हुए 'शिक्षा में परिप्रेक्ष्य' तथा 'पाठ्यचर्या और शिक्षाशास्त्रीय अध्ययन' पाठ्यक्रमों का संचालन किया जाना चाहिए।
- (ङ) संस्थान उन स्कूलों के प्रिंसिपलों के साथ जहां प्रशिक्षणार्थी सेवारत है, चर्चा, लेक्चर, संगोष्ठियां आदि आयोजित करके वैचारिक आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करेगा।
- (च) मूल विषय क्षेत्रों के साथ संकाय के वैचारिक आदान-प्रदान सहित शैक्षणिक संवर्धन कार्यक्रम आयोजित करेगा, संकाय सदस्यों की शैक्षणिक प्रयासों में भाग लेने तथा विशेष रूप से स्कूलों में अनुसंधानों के लिए प्रोत्साहित करेगा।
- (छ) छात्रों और संकाय की शिकायतों की ओर ध्यान देने और साथ ही शिकायत निवारण के लिए तंत्र और प्रावधान होंगे।
- (ज) पर्यवेक्षित स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण के लिए टीईआई तथा प्रशिक्षणार्थियों के स्कूल मार्गदर्शन, पर्यवेक्षण, खोज रखने तथा छात्र अध्यापकों के मूल्यांकन के लिए एक परस्पर सहमत तंत्र स्थापित करेंगे।
- (झ) कार्यक्रम का प्रवर्तन विनियमित किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छात्रों का संबंधित शैक्षणिक वर्ष में गर्मियों की छुट्टी से कम से कम दो महीने पहले दाखिल कर लिया जाए तथा आमने सामने शिक्षण के लिए गर्मियों की तीन छुट्टियां उपलब्ध रहें।

5.3 मूल्यांकन

आंकलन और मूल्यांकन प्रणाली वही होगी जोकि पूर्णकालिक आमने-सामने बी.एड कार्यक्रम के लिए है। इस बात को ध्यान में रखते हुए संबंधन प्रदान करने वाला विश्वविद्यालय इस कार्यक्रम के छात्रों के लिए तथा तदनुरूपी पूर्णकालिक आमने सामने बी.एड कार्यक्रम के छात्रों के लिए एक साझी परीक्षा आयोजित करेगा दूसरे और तीसरे वर्ष के अन्त में छात्रों द्वारा दी जाने वाली बाह्य परीक्षा वैसी ही होगी जैसाकि पूर्णकालिक आमने सामने बी.एड कार्यक्रम के पहले और दूसरे वर्ष के लिए होती है।

6. स्टाफ**6.1 संकाय**

50 छात्रों के एक बुनियादी यूनिट अर्थात् 150 छात्रों के कुल नामांकन के लिए चार अतिरिक्त पूर्णकालिक सहायक प्रोफेसरों की जरूरत होगी। टीईआई यह सुनिश्चित करेगा कि अतिरिक्त संकाय सहित मौजूदा बी.एड तथा एम.एड संकाय सब मिलकर बी.एड अंशकालिक सहित सभी कार्यक्रमों का संचालन और पर्यवेक्षण करेंगे।

6.2 अर्हताएं

कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त संकाय की अर्हताएं वैसी ही होंगी जैसी पूर्णकालिक आमने-सामने बी.एड. कार्यक्रम के लिए निर्धारित है:

- टिप्पणी:** (i) टीईआई का प्रिंसिपल इस कार्यक्रम का प्रशासनिक तथा शैक्षणिक अध्यक्ष होगा।
- (ii) यदि संस्थान दो यूनिटों की पेशकश कर रहा है तो अतिरिक्त पूर्णकालिक संकाय की जरूरत बढ़ कर छः हो जाएगी।
- (iii) अतिथि संकाय और संसाधन व्यक्ति कार्यक्रम की पेशकश करने वाले संस्थान और साथ ही अन्य टीईआई के संकाय में से अथवा सेवानिवृत्त अध्यापक प्रशिक्षकों के उपलब्ध पूल में से नियुक्त किए जाएंगे।
- (iv) संस्थान स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण के पर्यवेक्षण के लिए भी समुचित संख्या में संसाधन व्यक्तियों की नियुक्ति करेगा।

- (v) इस कार्यक्रम का पूर्णकालिक संकाय आगे वर्णित के लिए जिम्मेदार होगा: आमने सामने कार्यक्रम के दौरान शिक्षण; स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण का पर्यवेक्षण; पाठ्यचर्या क्रियाकलापों के नियोजन, डिजाइनिंग तथा प्रायोगिक क्रियाकलापों के संचालन के लिए छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करना तथा छात्र प्रदत्त-कार्यों के संबंध में छात्रों को फीडबैक प्रदान करना तथा सिद्धान्त और प्रायोगिक कार्य पाठ्यक्रमों के लिए आन्तरिक आंकलन आयोजित करना साथ ही वे प्रशिक्षणार्थियों द्वारा प्रयोग के लिए समुचित पठन/संसाधन सामग्री संकलित और विकसित करेंगे।

6.3 प्रशासनिक और व्यावसायिक स्टाफ

टीईआई में उपलब्ध प्रशासनिक और व्यावसायिक स्टाफ इस कार्यक्रम के आयोजन में भी सहयोजित किया जाएगा।

6.4 सेवा की शर्तें और उपबन्ध

शिक्षण और शिक्षणोत्तर स्टाफ की चयन प्रक्रिया सहित उनकी सेवा शर्तें और उपबन्ध, वेतनमान अधिवार्षिकी की आयु तथा अन्य लाभ राज्य सरकार/सम्बन्धन प्रदान करने वाले निकाय की नीति के अनुसार होंगे।

7. सुविधाएं

7.1 आधारिक सुविधाएं

क्योंकि वैयक्तिक सम्पर्क कार्यक्रम तथा आमने-सामने शिक्षण उस समय आयोजित किया जाएगा जबकि नियमित कक्षाएं नहीं चला रही होंगी इसलिए इस कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त आधारित सुविधाओं की कोई जरूरत नहीं होगी।

तथापि आमने-सामने सम्पर्क कार्यक्रम तथा स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण के दौरान बाहरी स्थानों से आए छात्रों के लिए आवासीय व्यवस्था वांछनीय होगी।

7.2 उपकरण और सामग्री

इस कार्यक्रम में दाखिल छात्रों के लिए संस्थान में उपलब्ध मौजूदा पुस्तकालय तथा आईसीटी संसाधन और सुविधाएं, पाठ्यचर्या संसाधन और सामग्री, दृश्य कलाएं तथा निष्पादन कला सामग्री और संसाधन, तथा खेल/खेलकूद सुविधाएं सहज सुलभ होंगी। जहां कहीं जरूरत होगी टीईआई के पास उपलब्ध सुविधाओं का और आगे संवर्धन किया जाएगा। संस्थान यह सुनिश्चित करेगा कि सुविधाएं और इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार स्टाफ सदस्य, उस समय उपलब्ध रहें जब आमने-सामने शिक्षण अथवा स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता है।

8. प्रबंधन समिति

संस्थान में संबंधित राज्य सरकार के नियमों के अनुसार यदि कोई हो तो एक प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा। ऐसे किसी नियम की गैर-मौजूदगी में प्रायोजन करने वाली सोसायटी स्वयं अपनी ओर से प्रबंधन समिति का गठन करेगी। इस समिति में प्रबंधन सोसायटी/न्यास, शिक्षाविदों, प्रारंभिक बाल्यावस्था, शिक्षा विशेषज्ञों के प्रतिनिधि तथा स्टाफ के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह समिति बी.एड(अंशकालिक) कार्यक्रम सहित संस्थान के सभी कार्यक्रमों की समीक्षा और मानीटरन करेगी।

परिशिष्ट-15

तीन वर्षीय एकीकृत बी.एड-एम.एड डिग्री कार्यक्रम, 2014 के मानदंड और मानक

1. प्रस्तावना

एकीकृत बी.एड-एम.एड कार्यक्रम शिक्षा में तीन वर्ष का पूर्णकालिक व्यावसायिक कार्यक्रम है, जिसमें 3 वर्षों के अध्ययन को पूरा करने से पहले बीच में छोड़ने का कोई विकल्प नहीं है। इसका उद्देश्य शिक्षा में अध्यापक-शिक्षकों और अन्य व्यावसायिकों को तैयार करना है, जिनमें पाठ्यचर्या विकासकर्ता, शिक्षा नीति विश्लेषक, शैक्षिक आयोजक और प्रशासक, स्कूल प्रिंसिपल, पर्यवेक्षक और शिक्षा के क्षेत्र के अनुसंधानकर्ता भी शामिल हैं। कार्यक्रम के पूरा होने पर प्रारंभिक शिक्षा (कक्षा VIII तक), अथवा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक (VI से XII) में विशेषज्ञता के साथ एकीकृत बी.एड-एम.एड डिग्री प्राप्त होगी।

2. आवेदन करने के लिए पात्र संस्थान

- राअशिप** (राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद) द्वारा मान्यताप्राप्त अध्यापक शिक्षा संस्थान, जो बी.एड और एम.एड पाठ्यक्रम प्रस्तुत करते हैं और जो कम से कम पांच वर्षों से मौजूद हैं और जिनके पास न्यूनतम बी ग्रेड के साथ एनएएसी प्रत्यायन है।
- मुक्त** (ओपन) विश्वविद्यालयों से भिन्न यूजीसी मान्यताप्राप्त केन्द्रीय/राज्य विश्वविद्यालयों में शिक्षा विभाग/स्कूल।
- उपर्युक्त (i) और (ii) में उल्लिखित संस्थानों में इस कार्यक्रम के संचालन के लिए रिहायशी आवास स्थान होगा।